

जनपद स्तर से संचालित होने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण
जनपद-बागेश्वर वर्ष- 2009-10

सं.	छात्रवृत्ति का नाम	वर्ष- 2009-10 में वितरण की स्थिति			अन्य विवरण
		लाभान्वित छात्र सं०	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि	
	जू०हा० योग्यता छात्रवृत्ति	663	1,20,000	1,19,340	निदेशालय स्तर से स्वीकृत यह छात्रवृत्ति रु० 15/-मासिक प्रति छात्र की दर से कक्षा-6 से कक्षा-8 तक 03 वर्ष के लिये देय है ।
	एकीकृत छात्रवृत्ति	31	14,400	14,400	निदेशालय स्तर से स्वीकृत यह छात्रवृत्ति क एवं ख श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों हेतु रु० 50/-मासिक एवं ग श्रेणी हेतु रु० 15/- मासिक प्रति छात्र की दर से कक्षा-9 एवं 10 में देय है ।
	बी.पी.एल. तेजस्वी	788	11,00,000	11,00,000	निदेशालय स्तर से स्वीकृत यह छात्रवृत्ति कक्षा-9 एवं कक्षा-10 में अध्ययनरत बी.पी.एल. परिवार की निर्धन बालिकाओं को कक्षा-9 में रु० 1000/- प्रति छात्रा एवं कक्षा-10 में रु० 2000/- प्रति छात्रा की दर से देय है ।
	गौरा देवी कन्या धन	237	59,25,000	59,25,000	समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत इस योजना में बी.पी.एल.परिवार की कक्षा-12 उत्तीर्ण बालिकाओं को रु० 25,000/- प्रति छात्रा की दर से एन.एस.सी. प्रदान की जाती है ।
	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	27	16,000	15,600	निदेशालय स्तर से स्वीकृत इस छात्रवृत्ति में कक्षा- 10 में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को मैरिट के आधार पर रु० 480/- प्रति छात्र की दर से कक्षा-11 में तथा रु० 720/- की दर से कक्षा-12 में छात्रवृत्ति प्रगति आख्या के आधार पर दी जाती है ।

समाज कल्याण
छात्रवृत्तियाँ

विद्यालयों की माँग के अनुरूप छात्रवृत्ति का
भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा कर दिया
गया है ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत इस छात्रवृत्ति के अन्तर्गत अनु० जाति के छात्र/छात्राओं को
कक्षा-1 से 5 तक रू० 50/- प्रति माह की दर से 12 माह की, कक्षा-6 से 8 तक रू० 80/- प्र.माह
की दर से 12 माह की, कक्षा 9 से 10 तक रू० 120/- की दर से 12 माह की तथा कक्षा-11 से 12
तक रू० 140/- प्र.मा. की दर से 12 माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । पिछड़ी जाति हेतु कक्षा-3
से कक्षा-5 तक रू० 50/-मात्र, कक्षा- 6 से 8 तक रू० 80/- एवं कक्षा-9 से 10 तक रू० 100/-
प्रति माह की दर से 10 माह के लिये दी जाती है । विकलांग छात्र/छात्राओं को कक्षा-1 से 5 तक रू०
50/- मात्र, कक्षा-6 से 8 तक रू० 80/- मात्र, कक्षा-9 से 10 में रू० 170/- तथा कक्षा- 11 से
कक्षा 12 तक रू० 85/-प्रति माह की दर से पूरे वर्ष के लिये दी जाती है । अल्प संख्यक वर्ग में
कक्षा- 1 से 5 तक रू० 50/- मात्र, कक्षा-6 से 8 तक रू० 80/-मात्र, कक्षा-9 से 10 में 120/-
प्रति माह की दर से पूरे वर्ष के लिये तथा कक्षा-11 से 12 तक रू० 140/-प्रति माह की दर से 10 माह
के लिये दी जाती है । अनु० जनजाति मद में कक्षा- 1 से 5 तक रू० 50/- मात्र, कक्षा-6 से 8 तक
रू० 80/- तथा कक्षा-9 से 10 तक रू० 120/-प्रति माह की दर से पूरे वर्ष हेतु तथा कक्षा- 11 से
12 में रू० 140/- प्रति माह की दर से 10 माह हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । समस्त छात्रवृत्तियों
के लिये छात्र/छात्रा के अभिभावक की वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है ।

जिला शिक्षा अधिकारी
बागेश्वर ।